



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 635 राँची, गुरुवार, 19 अग्रहायण, 1942 (श०)
10 दिसम्बर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची

अधिसूचना

2 नवम्बर, 2020

संख्या-5/आरोप-1-53/2020-12093 (HRMS)-- श्री प्रभाष चन्द्र दास, झा0प्र0से0 (तृतीय 'सीमित' बैच), प्र0वि0पदा0, नावाडीह, बोकारो के विरुद्ध उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक-425/स्था0, दिनांक 18.11.2020 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री दास को निगरानी धावा दल द्वारा दिनांक 13.11.2020 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

2. अतः श्री दास को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के तहत न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि दिनांक 13.11.2020 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the Competent Authority	Effective Date
1	2	3	4
1	PRABHAS CHANDRA DAS (JHK/JAS/301)	श्री प्रभाष चन्द्र दास, झा0प्र0से0 (तृतीय 'सीमित' बैच), प्र0वि0पदा0, नावाडीह, बोकारो को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के तहत न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि दिनांक 13.11.2020 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है।	13/11/2020

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS2972
